

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Criminal Writ Petition No.424/2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार गुप्ता।
लोक अभियोजक श्री प्रशांत शर्मा।

:: आदेश दिनांक :: 01.6.2019

अयाची को नोटिस जारी किए जावे।

अयाची की ओर से विद्वान लोक अभियोजक नोटिस
स्वीकार करते हैं, तामील पूर्ण मानी जाती है।

अंतरिम स्थगन पर सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा याची के विरुद्ध आरोपित अपराध के क्रम में पारित आदेश एवं अधीनस्थ निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2018 तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है। उनका यह भी कथन रहा कि अधीनस्थ निगरानी न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के पेज नंबर 19 पर संबंधित दस्तावेजों को कूटरचित होना नहीं माना है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों को कूटरचित होना मानकर आरोप विरचित किये जाने बाबत जो आदेश पारित किया गया है, वह तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विती आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थगित की जावे।

विचार किया गया।

एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों अधीनस्थ निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में जो तथ्य प्रकट हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय अपर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एसपीई केसेज) जयपुर जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2014 की क्रियान्विती आगामी सुनवाई की तिथि तक स्थगित की जाती है।

पत्रावली ग्रीष्मावकाश के बाद सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति